

कार्यालय-अग्निशामालय पदाधिकारी, खगड़िया

दिनांक- 10 नवम्बर 2018 ई

सेवा में,

प्रसंग ~~आपके पत्र~~ दिनांक- 08/11/2018 ई. का अलाव में /  
विषय ~~आपके पत्र~~ दिनांक- 08/11/2018 ई. का अलाव में /  
जॉच कर अनापत्ती पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।  
महाशय,

उपरोक्त विषय के अलाव में कहना है कि ~~आपके पत्र~~ दिनांक- 08/11/2018 ई. का अलाव में /  
सोही रकाशा का अग्निशमन यंत्र दिनांक 10/11/2018 को  
जॉच हेतु हमारे कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। जिसे अग्निशमन यंत्रों की  
जॉच कि गई। जॉचों उपरात अग्निशमन यंत्र सही पाया गया। जो निम्न  
प्रकार है।

- ✓ 1 ~~सी0ओ0टू0~~ फायर एक्सटीग्यूसर — 01 अदर
- ✓ 2 डी0सी0पी0 फायर एक्सटीग्यूसर — 03 "
- ✓ 3 ए0बी0सी0 फायर एक्सटीग्यूसर — 03 "
- 4 कम्बल ..... 04 "
- 5 फायर बाल्टी (~~सं. 1. 1. 1. 1. 1.~~) ..... 02 "

उपरोक्त सभी अग्निशमन यंत्रों की देखरेख एवं साफ राफाई सही समय  
करते रहेंगे। तथा जॉचों उपरात अग्निशमन यंत्रों की कमी पाये जाने पर  
इसकी पूर्ण जिम्मेवारी प्रबन्धक की होगी। तथा आपत्ति प्रमाण-पत्र रद्द की  
जाएगी।

अतः इन्हें चालू वर्ष ~~31. 12. 2018~~ के लिए अनापत्ती प्रमाण पत्र  
निर्गत किया जाता है। 2019 ई

विश्वासभाजन  
8/11/2018

जिला अग्निशमन पदाधिकारी  
खगड़िया

प्रतिलिपि:-

- 1. राज्य अग्निशाम पदाधिकारी बिहार, पटना।
- 2. जिला पदाधिकारी खगड़िया।